

Most - URGENT

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।

क्रमांक : ए.4()लेखा/सूअ./2016-17/ 971

दिनांक : 24-11-17


समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं जोधपुर में विचाराधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)(एमपीडब्ल्यू) अवमानना प्रकरणों के अन्तर्गत किये गये भुगतान की सूचना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)(एमपीडब्ल्यू) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं जोधपुर के विभिन्न निर्णयों की पालना में विचाराधीन अवमानना प्रकरणों में किये गये भुगतान की सूचना संलग्न प्रारूप-अ तथा ब में एक्सल में तैयार करा दिनांक 30/11/2017 तक वित्तीय सलाहकार की ई-मेल आईडी famh-rj@nic.in पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त सूचना के साथ जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष) को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उनके नाम एवं अभी तक भुगतान नहीं करने के कारण भी संलग्न प्रारूप-ब में आवश्यक रूप से भिजवाये।

संलग्न:- प्रारूप अ तथा ब।




वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ए-4 () लेखा/ प्रतिबद्ध/2017-18/ 971

दिनांक : 24-11-17

प्रतिलिपि:-प्रभारी सर्वर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें तथा सभी संबंधितों को ई-मेल पर भी सूचित करावें।



वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

